

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसं/जोध/11/ 3119
निमित्त:

दिनांक 30/6/21

उप वन संरक्षक,
जोधपुर

विषय: कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड सम्पर्क सड़क हेतु 0.3291 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/RJ/16088/2015) के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 4703 दिनांक 23-06-2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रकरण में प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट में निम्न आक्षेप पाये गये हैं। निम्न आक्षेपों की बिन्दुवार अनुपालना प्रेषित करें :-

बिन्दु संख्या	ईडीएस	बकाया अनुपालना/आक्षेप
A- EDS Dated 28-09-2016 is awaited:		
1	बिन्दु संख्या 2 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.3291 हैक्टर है। अतः संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण के स्थान पर ग्राम सभा की अनापत्ति संलग्न की गई है जिसमें वनाधिकार अधिनियम 2006 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो किया जाना अपेक्षित है।
B- Additional Information is to be required		
1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वनभूमि का कार्य आयोजना विवरण अंकित नहीं किया गया है।	ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना का विवरण अंकित करें।
5	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में कोई विकल्प नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न करें।

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसं/जोध/11/

दिनांक

प्रतिलिपि अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राज जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर